फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

चम्पालाल — विपक्षी — उदमलाल

कदमा बाद - 88-53-188 पत्रावली संख्या 233/13 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
22/04/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी / विपक्षी /रेस्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 17/06/19 ....को पेश हो B.D.O.	
4/6/19 पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा तलबी का निवेदन करने पर तलब की गई प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पेश कर आपसी रागीनामा हो जाने से वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर डिक्री स्तर पर इंप्लेड कराना चाहते है वादी की पश्चात उक्त अधिवक्ता डाला गया अतः वादी वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद डिक्री स्तर पर इंप्लेड किया जाता है प्रकरण में प्रतिवादी का टेर होने से टेर जारी रहेगा पत्रावली वास्ते वादिक प्रार्थी दिनांक 17/6/19 को पेश हो	
17/6/19 पत्रावली पेश सही वादिक प्रार्थी का कथन चाहा। कथन किया पत्रावली दिनांक 27/7/19 को पेश हो	

Scanned by CamScanner

30/7/19

[illegible] पेश हुए। वकील [illegible] अपीलान्ट/
प्रतिवादी [illegible] निवासी-
अधिकारी [illegible] मिटिंग
में पधारे हैं। पत्रावली [illegible] पालना में
दिनांक 5.8.19 को पेश हो।

5/8/19

पत्रावली पेश हो।
अधिवक्ता गण वादी की कार्यवाही
दिलवाई गई अनु. हो गत!
अनुपस्थित रहने पर वाद
वादी गण की / अंतरिम फैसले
से खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो
निर्णय सुनाया गया।

Scanned by CamScanner